

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016 45/91-22 प्र०स्वी०
...../राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन रु० 211.736 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन रु० 211.736 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- भवनों के पुर्नस्थापन से संबंधित प्रमण्डलवार कार्यों, उनकी राशि तथा शीर्ष की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	शीर्ष
(i)	सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट अवस्थित अवासीय भवन (Type-1 and Type-2) की मरम्मति, एवं रख-रखाव कार्य।	सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट	रु० 9.933	TSP
(ii)	सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट अन्तर्गत 4 No.-F-Type आवासीय भवन की मरम्मति एवं रख-रखाव कार्य।		रु० 21.636	
(iii)	सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट अन्तर्गत अवस्थित कार्यालय भवन की मरम्मति एवं रख-रखाव कार्य।		रु० 11.21	
(iv)	सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट अन्तर्गत निरीक्षण भवन की मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य।		रु० 66.138	
कुल योग :-			रु० 108.917	
(v)	सिंचाई प्रमण्डल देवघर अन्तर्गत सिंचाई निरीक्षण भवन की मरम्मति एवं रख-रखाव कार्य	सिंचाई प्रमण्डल, देवघर	रु० 71.151	SCSP
(vi)	सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा, शिविर-महागामा अवस्थित निरीक्षण भवन की मरम्मति एवं रख-रखाव का कार्य	सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा शि०-महागामा	रु० 16.735	
(vii)	अजय बराज स्थित कंट्रोल रूम की मरम्मति एवं रंग रोगन का कार्य	सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया	रु० 14.933	
कुल योग :-			रु० 102.819	
सकल योग :-			रु० 211.736	

- A) सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट स्थित आवासीय भवन की मरम्मत तथा Electrification एवं sanitary कार्य का प्रावधान है।
- B) सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट स्थित F-Type Quarter की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा Electrification एवं sanitary कार्य का प्रावधान है।
- C) सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट स्थित कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रंग रोगन के साथ Electrification एवं sanitary कार्य का प्रावधान है।
- D) सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट स्थित निरीक्षण भवन की मरम्मत, रंगरोगन, नये दरवाजे एवं खिड़की लगाने का कार्य, Flooring, interior decoration एवं new bore well का प्रावधान है।
- E) सिंचाई प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत सिंचाई निरीक्षण भवन में Tiles, plester, putty का कार्य, नये चौखट, दरवाजे लगाने का कार्य, नये Furniture, AC, Bed, Sofa, Chair, Electrification एवं sanitary कार्य का प्रावधान है।
- F) सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा शिविर-माहगामा स्थित निरीक्षण भवन में Plaster work, PCC Flooring, Plumbing work, sanitary, Electrification, white washing, Easing and adjusting of Door and window का कार्य तथा चाहरदीवारी का मरम्मत कार्य का प्रस्ताव है।
- G) अजय बराज स्थित कंट्रोल रूम की मरम्मत अन्तर्गत Putty, नये टाईल्स, रंग रोगन sanitary, बिजली मरम्मत का कार्य तथा नये सोफा सेट, टी टेबल, वाटर फिल्टर एवं नई बोरिंग का प्रावधान है।

4. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर वर्ष 2022-23 में पूर्ण कराया जायेगा।

5. उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :-

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल रु० 211.736 लाख का कार्य में से सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट अन्तर्गत कुल रु० 108.917 लाख का कार्य मुख्य शीर्ष मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजन, उप शीर्ष-68- भवनों संधारण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा तथा

सिंचाई प्रमण्डल, देवघर, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर माहगामा तथा सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया अन्तर्गत रु० 102.819 लाख का कार्य मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. कंडिका (3) में अंकित प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता संबंधित कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस वित्तीय वर्ष 2021-22 अन्तर्गत बजट शीर्ष 49-S-4701-80-796-68-00-05-45 में 500.00 लाख तथा बजट शीर्ष 49-S-4701-80-789-66-00-05-45 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रु० 331.00 लाख है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखंड, पो-हिनु राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०सं०-1, बरहेट/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महागामा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण) प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- आयुक्त संथाल परगना दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव